दिनांक 22 मार्च 2011 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित एफ एस एस ए आई की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त

श्री पी आई सुवरथन, अध्यक्ष, ने खाद्य प्राधिकरण की सातवीं बैठक के लिए सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची संलग्नक–1 में है। श्री अनिंदों मजूमदार, श्री सिद्धार्थ सिंह, श्री संजय सिंह, डॉ यू वेंकटेश्वरुलु, श्री अरूण पांडा, श्री जी नारायनराजू, श्री एम पी सिंह, सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा, सुश्री वसुंधरा प्रमोद देवधर, डॉ एस गिरिजा, डॉ एन एन वार्ष्णेय, डॉ (सुश्री) इंदिरा चक्रवर्ती, डॉ (श्रीमती) टी.ए. कदरभाई और श्री कलिंग तायेंग को अनुपस्थिति के लिए छुट्टी प्रदान की गयी जो बैठक में भाग नहीं ले सके।

मद संख्या 1: नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना

श्री राजन गुप्ता ने खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के 7(3) खंड और भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण नियम, 2008 के नियम 16 के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ खाद्य प्राधिकरण के नए सदस्य के रूप में ली और "रूचि की वार्षिक घोषणा" पर हस्ताक्षर किए।

मद संख्या 2: सदस्यों द्वारा रूचि का प्रकटीकरण

कार्यवाही के शुरू होने से पहले, बैठक में सभी मौजूद सदस्यों ने बैठक में विचार किया जाने वाले कार्यसूची मद के संबंध में "रूचि की विशिष्ट घोषणा" पर हस्ताक्षर किए।

मद संख्या 3: 08 नवम्बर 2010 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

08 नवम्बर 2010 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की छठीवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की और बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में परिचालित कार्रवाई की रिपोर्ट का जायजा लिया। सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सामान्य टिप्पणियां/अवलोकन किए गए थे:

- खाद्य प्राधिकरण बैठक के एजेंडे को सदस्यों को अग्रिम में दिया जा सकता है जिससे इसको अच्छी तरह से पढने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके। यह भी अंकित किया गया था कि सामान्य रूप से कार्यसूची समय पर वितरित हो रहा है परंतु जब संबंधित दस्तावेज/ड्राफ्ट को आखिरी स्तर पर अंतिम रूप दिया जाता है या दस्तावेज को पहले ही परिचालित किया जा चुका हो तब उस समय कुछ मदों में देरी हो जाती है।
- एक आशंका व्यक्त की गई थी कि उद्योग से प्राप्त कई टिप्पणियों को अभी भी नियमों/विनियमों के अधिसूचना मसौदे में नहीं रखा गया हैं। यह अनुरोध किया गया था कि अंतिम अधिसूचना से पहले हितधारक से परामर्श लेना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया था कि एफ एस एस ए आई ने पहले से ही हितधारकों से पारदर्शी तरीके से कई बार परामर्श लिया है यहाँ तक कि नियम और विनियम मसौदे के स्तर पर भी। सुझाव को स्वीकार या खारिज करने के कारणों के रिकार्ड को आगे सार्वजनिक किया जाएगा। सभी टिप्पणियां पर विचार किया गया है और कई विचार–विमर्श के बाद उचित प्रतिवाद के साथ मूल्यांकन किया गया है। मसौदा एफ एस एस ए आई पोर्टल पर एक वर्ष से अधिक के लिए है और बड़ी संख्या में टिप्पणियों को प्राप्त और विचार किया गया है। देश के विभिन्न भागों में

मसौदे पर चर्चा करने के लिए कार्यशालाओं को आयोजित किया गया है। इसके बावजूद, सभी हितधारकों से प्राप्त स्थूल टिप्पणियों की जांच की गई और मौजूदा कानून के दायरे में जहां कहीं भी संभव हो उचित संशोधन

- किए गए और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझाव/दावे के संघर्ष को संतुलन करने की आवश्यकता है। सरकार ने संसद को आश्वासन दिया कि नियमों और विनियमों को शीघ्र ही सूचित किया जाएगा अधिनियम के संचालन में हुई देरी को ध्यान में रखते चिंता व्यक्त की। इस स्तर पर, देश एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन का इंतजार कर रहा है, इसमे आगे देरी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, समीक्षा प्रक्रिया चल रही है और आगे के परिवर्तन जहाँ कहीं भी आवश्यक हो पर किसी भी समय विचार किया जा सकता है और संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। यह भी आगे स्पष्ट किया गया कि मौजूदा मानकों आदि में संशोधन के लिए बड़ी संख्या में आये
- सुझावों पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनको पैनल / समिति आदि द्वारा विचार के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से जाना होगा। वर्तमान में, एफ एस एस ए आई ने इस स्तर पर मानकों में किसी बड़े परिवर्तन को प्रस्तावित नहीं किया है और परस्पर विरोधी सुझावों के मामले में मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के आधार पर युक्तिकरण किया गया है।
- उद्योग के मामलों के संदर्भ में मौजूदा इकाइयों के लाइसेंस नियमों की अनुसूची 4 के कार्यान्वयन के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया कि अनुसूची 4 को पूर्वव्यापी लागू करने का इरादा नहीं है। मानकों जो मौजूदा कानूनों / नियमों के हिस्से को नहीं बनाते है को छोड़कर स्वकृति प्राप्त करने के लिए पारगमन समय मौजूदा इकाइयों को दिया जाएगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त को स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिकृत किया।
- यह सुझाव दिया गया था कि देश भर में एकरूपता लाने के लिए सेंपलिंग तरीकों और विश्लेषणात्मक तकनीकों के स्तर को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है और इसको तुरंत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, भारत मानक ब्यूरो (बीआईएस) भी कुछ सेंपलिंग मानकों को निर्धारित कर चुका है और इनको भी तालमेल के लिए लूप में लाया जा सकता है।
- एक विशिष्ट पूछताछ के संदर्भ में वैज्ञानिक पैनलों की बैठक में भाग लेने वाले सदस्य के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया है कि यह पैनल या समिति सांविधिक निकाय हैं और इसके कार्य के लिए विधिवत अधिसूचित प्रक्रिया है। हालांकि, अंततः पैनल के समक्ष मुद्दे प्राधिकरण से पहले आते है इसलिए प्राधिकरण सदस्यों का पैनल / समिति की बैठकों में भाग लेना उपयुक्त नहीं हो सकता है। हालांकि, पैनलों और समिति के एजेंडे और निष्कर्ष का विवरण प्राधिकरण के पोर्टल पर डाल दिया हैं।
- यह सुझाव था कि खाद्य उद्योग के लिए अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताएं आत्म–अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से वर्तनी किया जाना चाहिए। चाहिए। इसके उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि एफ एस एस ए आई पहले से ही उद्योग के लिए आत्म–अनुपालन चेकलिस्ट के मसौदे पर काम कर रहा है जो कि न्यूनतम बुनियादी खाद्य संरक्षा आवश्यकताओं को कवर करेगा।

मद संख्या 4: अंतिम खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011

अध्यक्ष ने सूचित किया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के मसौदा को पहले से ही भारतीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और इस पर प्राप्त टिप्पणीयों पर विधिवत विचार करने के बाद संशोधित संस्करण को अंतिम अधिसूचना के लिए सरकार को भेज दिया गया है। चर्चा के दौरान निम्नलिखित बिन्दु सामने आयेः

- एक विशिष्ट पूछताछ के संदर्भ में बंदरगाह के प्रवेश से मंजूरी के बाद भी एफएसओ द्वारा आयातित खाद्य पदार्थ के नमूने की सेंपलिंग के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया है कि
- बंदरगाह से मंजूरी देने के बाद भी हैंडलिंग स्थिति और भंडारण आदि के आधार पर खाद्य संरक्षा चुनौतियां वहाँ हमेशा बनी रहेंगी और अपने अधिकार क्षेत्र में इस तरह के आयातित खाद्य वस्तुओं के सुरक्षा पहलुओं पर गौर करना एफएसओ की जिम्मेदारी है।
- भोजनालयों में मनोनीत अधिकारी और खाद्य संरक्षा अधिकारी के संपर्क ब्यौरा के अनिवार्य प्रदर्शन के बारे में यह एक सुझाव था।
- यह सुझाव दिया गया था कि एफ एस एस ए आई को एक (24X7) हेल्पलाइन नंबर शुरू करना चाहिए और इस नंबर को एफ एस एस ए आई के हर विज्ञापन के साथ पदोन्नत किया जाना चाहिए। शिकायत / पूछताछ का अंतिम संवरण काफी महत्वपूर्ण है और संगठन / विभाग को उठाए गए मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने की जरूरत है। जमीनी स्तर पर शिकायतों निपटाने पर प्रतिक्रिया देने के लिए एफ एस एस ए आई उपभोक्ता संगठनों की मदद लेने पर विचार कर सकता हैं। नियमों पर हर 1–2 साल में दोबारा से गौर किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो संशोधन किया जा सकता है। यह बताया गया था कि एफ एस एस ए आई पहले से ही अवधारणा पर काम कर रहा है और एक योजना को जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा।
- एक सदस्य ने सुझाव दिया था कि नियमों में एफएसओ के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित प्रावधानों को अच्छी तरह से और ध्यान से दोबारा गौर करने की आवश्यकता है। यह एफएसओ को बड़ी विवेकाधीन शक्तियां देता है और इनके दुरुपयोग होने की बहुत हद तक संभावना है। भारत जैसे देश में कानून का प्रवर्तन हमेशा एक में एक बड़ी चुनौती रही है। इसलिए, एफएसओ की हर प्रारंभिक कार्रवाई को उच्च अधिकारी के प्रतिपरीक्षण, जांच और अनुमोदन के अधीन होना चाहिए। देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए।
- एक अन्य सदस्य का विचार था कि उपयोगकर्ता के लिए कानून को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए तंत्र रचना की जरूरत है और ऐसा करने के लिए एफएसओ की गतिविधियों और निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से पूर्व अनुमोदन और मनमाने ढंग से कार्रवाई की जांच करने के लिए उच्च अधिकारियों को तत्काल रिपोर्टिंग का कैलेंडर बना सकते थे।
- अध्यक्ष ने विचारों की सराहना की और अवलोकन किया कि अधिनियम प्रावधानों को समग्रता से देखना पड़ेगा। जबकि एफएसओ की शक्तियों को एफएसएस अधिनियम में पहले से ही परिभाषित किया गया है, इनमें से कई शक्तियों को पीएफए में भी जगह मिली है। अब जिला स्तर पर खाद्य संरक्षा आयुक्त (एफएससी) के निर्देश और नियंत्रण और जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन (नामित अधिकारी) पूरा समय पर्यवेक्षण होगा। स्थानीय स्तर पर होने वाली स्थितियों के अनुसार फील्ड स्टाफ के कामकाज पर सख्त जाँच रखने के लिए एफएससी को भी विभागीय निर्देश एवं एमआईएस विकसित करना पड़ेगा। यह भी

स्पष्ट किया गया था कि एफएसओ की प्रवर्तन गतिविधियों पर पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन अधिनियम में प्रदान किया गया हो और यदि वे किसी भी अवैध कार्य में पकड़े जाते है तो वे इस मामले में वित्तीय दंड के अधीन होंगे। इसके अलावा, अधिनियम प्रणाली अनुपालन पर ज़ोर देता है और एफबीओ की प्राथमिक जिम्मेदारी खाद्य संरक्षा है। अधिनियम की विचारधारा के अनुसार प्रवर्तन गतिविधियों को पूरा करने के लिए एफ एस एस ए आई ने एफएसओ के अंगविन्यास और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त शैक्षिक योग्यता और लगातार प्रशिक्षण का प्रावधान रखा है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पर्यवेक्षण विवेकाधीन शक्तियों पर सुरक्षित काउंटर जांच करने और राज्य मशीनरी को समर्थन के लिए शुरू किया गया है।

- यह एक सुझाव था कि निरीक्षण बुक को एफबीओ द्वारा उनके परिसर रखा जाना चाहिए और नियंत्रण और संतुलन के लिए प्रवर्तन स्टाफ द्वारा किए गए निरीक्षण के अवलोकन को इसमे दर्ज किया जाना चाहिए। यह उल्लेख किया गया था कि एफ एस एस ए आई एक समान निरीक्षण प्रक्रिया के लिए निरीक्षण मैनुअल के मसौदे की प्रक्रिया में पहले से ही है।
- एफएसओ की योग्यता में राज्यवार मतभेदों और नगर पालिकाओं के साथ काम कर रहे खाद्य निरीक्षकों की स्थिति के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया था कि पीएफए अधिनियम के तहत राज्य/नगर पालिकाओं में जहां भी संभव हो मौजूदा प्रवर्तन स्टाफ की नियुक्ति को नई प्रणाली के तहत लाया जाना होगा और राज्यो को कानून के दायरे में रहकर प्रशासनिक समायोजन की जरूरत हो सकती है। एफएसओ का एकीकृत पेशेवर संवर्ग बेहतर कैरियर की संभावनाओं और पेशेवर उत्कृष्टता के लिए उत्साहित है और स्थानीय निकायों में पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए इस प्रकार के तकनीकी संवर्ग का हिस्सा बनना चाहिए। प्रवर्तन के ध्यान में रखते हुए पीएफए प्रणाली की कमजोरियों की बेहतर ढ़ग से जांच आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना है कि नई प्रणाली में ये कमजोरियों न हो।

यह सहमति व्यक्त की गई कि इस स्तर पर एफ एस एस ए आई पहले की सभी टिप्पणीयों जिन पर विधिवत विचार किया गया है को फिर से खोलने और संबंधित नियमों को निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी, सदस्य, एफएसओ की शक्तियों और कर्तव्य के विषय पर विचार के लिए अतिरिक्त विशेष टिप्पणी/सुझाव 7 दिनों के भीतर भेज सकते हैं, यदि कोई हो। इसके बाद, एफ एस एस ए आई सरकार की नीति के अनुपालन में नियमों के अंतिम अधिसूचना के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकता है।

मद संख्या 5: ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) के मसौदा अधिसूचना को सरकार को भेजा

खाद्य प्राधिकरण ने अनुमोदन और अधिसूचना के लिए सरकार को भेजे गए ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) के मसौदा अधिसूचना को देखा।

मद संख्या 6: वर्ष के अंत का समीक्षा पत्र 2010–11 के दौरान एफ एस एस ए आई की गतिविधियों पर प्रकाश डाल रहा है

खाद्यप्राधिकरण ने दस्तावेज को देखा और अध्यक्ष को इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया। यह सुझाव भी दिया गया था कि इस तरह के दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में लाना चाहिए

और एफ एस एस ए आई स्थापना के समय से अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए एक ब्रोशर प्रकाशित करने पर विचार कर सकता है। विभिन्न बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए सदस्यों ने एफ एस एस ए आई के उनके व्यवस्थित और काम में संगठित दृष्टिकोण का सराहा।

मद संख्या 7: कीटनाशकों और एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेष पर वैज्ञानिक पैनल की शक्तियों का प्रत्यायोजन

खाद्य प्राधिकरण ने कीटनाशकों और एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेष पर वैज्ञानिक पैनल के कीटनाशकों और एंटीबायोटिक एमआरएल सिफारिशो के लिए शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में विचार किया और प्रस्ताव को मंजूरी दी। सिफारिशो को वैज्ञानिक समिति और प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। पैनल द्वारा इस तरह के मामलों पर विचार करने के लिए प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सकता है।

मद संख्या 8: अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ कोई अन्य मद

- खाद्य प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 8 फरवरी 2011 के अनुसार वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति के पुनर्गठन पर विचार किया और मंजूरी दी। पैनल के पुनर्गठन में एफ एस एस ए आई के सिद्धांतों के साथ सदस्य आए थे।
- एक सुझाव था कि एफ एस एस ए आई को अपने नागरिक चार्टर के प्रकाशन में देरी नहीं करनी चाहिए और सरल बेंचमार्क दस्तावेज को लाना चाहिए। अध्यक्ष ने सूचित किया कि एफ एस एस ए आई 10 दिनों के भीतर नागरिक चार्टर का ड्राफ्ट लाएगा।
- एफ एस एस ए आई द्वारा विकसित खाद्य विज्ञापन में स्वनियंत्रण के कोड की तुलना में खाद्य वस्तुओं के प्रोत्साहन और विज्ञापन नियंत्रण के तंत्र पर चर्चा दौरान, यह सुझाव दिया गया था कि एफ एस एस ए आई के नियामक प्रयासों को पूरा करने के लिए एफ एस एस ए आई भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के साथ स्वनियंत्रण के कोड को लागू करने के लिए काम कर सकता हैं।

धन्यवाद ज्ञापन: अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक–1

दिनांक 22 मार्च 2011 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की छठी बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

खाद्य प्राधिकरण के सदस्यः

1. श्री पी. आई. सुवरथन, अध्यक्ष
2. श्री वी. एन. गौड़, सदस्य–सचिव
3. सुश्री इंद्राणी कर
4. सुश्री वसुंधरा प्रमोद देओधर
5. श्री बिजोन मिश्रा
6. डा. एस. गिरिजा
7. डा. (सुश्री) इंदिरा चक्रवर्ती
8. डा. (सुश्री) पी. सुचरिथा मूर्ति
9. श्री राजन गुप्ता
10. श्री शिव नारायण साहू
11. डा. स्वप्न कुमार पॉल
12. श्री वी. बालासुब्रामणियम